जिला – मुजफ्फरपुर

न्यायालय प्रथम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)

उपस्थित:- रमेश मणि तिवारी,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
मुजफ्फरपुर।

आपराधिक अपील संख्या - 69/2018

मुजफ्फरपुर दिनांक 10 सितम्बर 2018 ई०

प्रिंस राज उर्फ प्रिंस कुमार ------------------------------ अपीलकर्ता

बनाम

बिहार सरकार ------------------------------ उत्तरवादी

अपीलकर्ता की ओर से - श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

उत्तरवादी बिहार सरकार की ओर से -- श्री केदार नाथ सिंह, लोक अभियोजक

निर्णय

1. अपीलकर्ता द्वारा यह अपील किशोर न्याय परिषद द्वारा ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 124/18 G.R. 1982/18 में पारित आदेश दिनांक 07-08-2018 के विरुद्ध लाया गया है जहाँ पर किशोर न्याय परिषद द्वारा अपीलार्थी का जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है।

2. अपीलकर्ता की ओर से इस आशय का आवेदन दिया गया है कि उपरोक्त क्रिमिनल अपील आवेदक द्वारा विपक्षी के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया था जो सुनवाई हेतु इस न्यायालय में लंबित है। यह कि आवेदक अब उक्त क्रि० अपील को आगे लड़ना नहीं चाहता है। यह कि बिना सुनवाई के उक्त क्रि० अपील को आवेदक के पक्ष में वापस करने की अनुमति देने की कृपा की जाए।

लगातार...

…ताक.

… 09.2018

उभयपक्ष को सुना गया। अपीलकर्ता के उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं तदनुसार इस क्रि० अपील को खारिज किया जाता है।

(राकेश पति तिवारी)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह-
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
मुजफ्फरपुर.
दिनांक 10.09.2018

लेखापित एवं शुद्धिकृत.

(राकेश पति तिवारी)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
मुजफ्फरपुर.
दिनांक 10.09.2018